कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य/छाप्रोप्र/ए/60171/SC-ST/2020–21 दिनांक : 25.08.2020

विज्ञप्ति

राजस्थान राज्य में स्थित समस्त राजकीय एवं निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं से सत्र 2020–21 हेतु सम्पूर्ण औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए निम्नांकित पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। गत सत्र 2019–20 में आवेदन कर चुके विद्यार्थियों को इस सत्र 2020–21 में छात्रवृत्ति नवीनीकरण हेतु ,संस्थाप्रधान द्वारा केवल आय घोषणा पत्र विद्यार्थियों से प्राप्त करते हुए, शालादर्पण पोर्टल पर स्वतः प्राप्त सूचना में आधार ऑथेंटिकेशन (Aadhar Authentication), एवं जन आधार से लिंक बैंक सम्बधित सूचना को अपडेट करना अनिवार्य होगा। नवीन विद्यार्थी रिक्त आवेदन पत्र अपने विद्यालय के संस्था प्रधान से प्राप्त कर सकते हैं।

क्र.सं.	छात्रवृत्ति योजना का नाम
1	पूर्व मैट्रिक अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति कक्षा 06 से 08
2	पूर्व मैट्रिक अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति कक्षा 06 से 08
3	पूर्व मैट्रिक अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति कक्षा 09 से 10
4	पूर्व मैट्रिक अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति कक्षा 09 से 10
5	पूर्व मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति कक्षा 06 से 10
6	पूर्व मैट्रिक अति पिछड़ा वर्ग (विशेष समूह–एम.बी.सी.) छात्रवृत्ति कक्षा 06 से 10
7	सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 01 से 10)
8	कारगिल युद्ध में अर्थात 01.04.1999 एवं इसके पश्चात युद्धों में शहीद/स्थाई विकलांग सैनिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति
9	प्री–करगिल युद्धों में अर्थात 01.04.1999 से पूर्व युद्धों में शहीद/स्थाई विकलांग सैनिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति
10	भूतपूर्व सैनिकों की कक्षा 11 व 12 में नियमित अध्ययनरत प्रतिभावान पुत्रियों को देय छात्रवृति

छात्रवृत्ति हेतु आवेदन से सम्बन्धित तिथियां निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	विवरण	प्रारंभ तिथि	अंतिम तिथि
(अ)	छात्र/छात्रा द्वारा संस्था प्रधान से रिक्त आवेदन पत्र प्राप्त करने एवं पूरित कर मय संलग्नक जमा कराने की कार्यवाही	**27.08.2020**	**30.09.2020**
(ब)	छात्र/छात्रा द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर ऑनलाईन करने की तिथि	**27.08.2020**	**30.09.2020**

उपर्युक्त समस्त छात्रवृत्ति योजनाओं के आवेदन हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप, विस्तृत दिशानिर्देश, पात्रता एवं शर्ते, छात्रवृत्ति की दरें तथा संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों का विवरण शिक्षा विभाग की वैबसाईट **https://education.rajasthan.gov.in/content/raj/education/secondary-education/en/order/Scholarship/Sch_Pre_metric.html** लिंक पर उपलब्ध है।

(सौरभ स्वामी)
IAS
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य / छाप्रोप्र / ए / 60171 / SC-ST / 2020–21 दिनांक : 25.08.2020

विस्तृत दिशानिर्देश वर्ष 2020–21

कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति–अनुसूचित जनजाति (SC-ST) के छात्र / छात्राओं को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति

1. पात्रता एवं शर्ते :–

1. छात्र / छात्रा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति का ही हो। छात्र / छात्रा का जाति प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य, (केवल प्रथम बार छात्रवृत्ति आवेदन के समय)
2. छात्र / छात्रा राजकीय विद्यालय अथवा शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत हो।
3. छात्र / छात्रा के माता–पिता या उनके संरक्षक (माता–पिता जीवित न होने पर) **आयकर दाता न हो**।
4. छात्र / छात्रा जिसे केन्द्रीय, राजकीय / सार्वजनिक, धार्मिक स्त्रोत से अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
5. छात्र / छात्रा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावास में नहीं रह रहा हो।
6. छात्र / छात्रा पिछली कक्षा में अनुत्तीर्ण नही रहा हो, यदि वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसकी छात्रवृति रोक दी जावेगी। किन्तु यदि वह उसी कक्षा को आगामी वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण कर लेता है तो छात्रवृति पुनः चालू कर दी जावेगी। इस हेतु पुनः आवेदन करना होगा।
7. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(29)शिक्षा–6 / 2014 दिनांक 18.12.14 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों को राजस्थान के राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के समान यह छात्रवृत्ति देय है।
8. गत सत्र 2019–20 में आवेदन कर चुके विद्यार्थियों को इस सत्र 2020–21 में छात्रवृत्ति नवीनीकरण हेतु , संस्थाप्रधान द्वारा केवल आय घोषणा पत्र विद्यार्थियों से प्राप्त करते हुए, शालादर्पण पोर्टल पर स्वतः प्राप्त सूचना में आधार ऑथेंटिकेशन (Aadhar Authentication), जनआधार से लिंक बैंक खाते से सम्बधित सुचना को अपडेट करना अनिवार्य होगा।
9. शालादर्पण पर आवेदन के समय ही संस्थाप्रधान यह सुनिश्चित करें कि विद्यार्थी का बैक खाता जनआधार से लिंक है अन्यथा जनआधार से लिंक परिवार के मुखिया का बैंक खाता स्वतः ही अपडेट हो जायेगा।
10. नवीन आवेदन में समस्त सूचनाऐं विद्यार्थी से प्राप्त करके संस्था प्रधान द्वारा शाला दर्पण पोर्टल पर सम्पूर्ण ऑनलाईन आवेदन करना होगा। जिसमें जनआधार ऑथेंटिकेशन (Authentication), आधार ऑथेंटिकेशन (Aadhar Authentication) एवं आय सम्बन्धित इत्यादि सूचनाऐं भरी जानी अनिवार्य होगी।

2. छात्रवृति की दरें इस प्रकार है :

क.सं.	वर्ग	कक्षा	दरें (अधिकतम 10माह हेतु)
1	छात्र	6 से 8	75 / – प्र.माह (SC व ST दोनों के लिए)
2	छात्रा	6 से 8	125 / – प्र.माह (SC व ST दोनों के लिए)

3. छात्रवृत्ति हेतु प्रथम बार आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित सत्य प्रतियां ही संलग्न करनी आवश्यक है :–

1. छात्र / छात्रा के माता–पिता (माता–पिता के जीवित न होने पर संरक्षक) का आय स्वघोषणा पत्र
2. छात्र / छात्रा की गत वर्ष की परीक्षा की अंकतालिका / कक्षा क्रमोन्नत प्रमाण–पत्र (स्वप्रमाणित प्रति)।
3. विद्यार्थी का स्वयं का जाति प्रमाण–पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो (स्वप्रमाणित प्रति)।
4. आधार कार्ड तथा जन–आधार कार्ड की छायाप्रति (स्वप्रमाणित प्रति)।

छात्रवृत्ति हेतु आवेदन से सम्बन्धित तिथियां निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	विवरण	**प्रारंभ तिथि**	**अंतिम तिथि**
(अ)	छात्र / छात्रा द्वारा संस्था प्रधान से रिक्त आवेदन पत्र प्राप्त करने एवं पूरित कर मय संलग्नक जमा कराने की कार्यवाही	**27.08.2020**	**30.09.2020**
(ब)	छात्र / छात्रा द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर ऑनलाईन करने की तिथि	**27.08.2020**	**30.09.2020**

विद्यार्थी द्वारा भरे हुए आवेदन पत्र सम्बन्धित विद्यालय में सुरक्षित रखे जावेंगे। केवल निजी विद्यालयों के आवेदन पत्र सम्बन्धित राजकीय नोडल विद्यालय के द्वारा जांच पश्चात् जिला शिक्षा अधिकारी,माध्यमिक मुख्यालय कार्यालय में सुरक्षित रखे जावेंगे।

(सौरभ स्वामी)
IAS
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य/छाप्रोप्र/ए/60171/SC-ST/2020–21 दिनांक : 25.08.2020

विस्तृत दिशानिर्देश वर्ष 2020–21

कक्षा 9 से 10 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (केन्द्र प्रवर्तित)

1. पात्रता/शर्तें :–

1. छात्र/छात्रा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का ही हो, छात्र/छात्रा का जाति प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है (केवल प्रथम बार छात्रवृत्ति आवेदन के समय)
2. छात्र/छात्रा राजकीय/शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में कक्षा 9 से 10 में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत हो।
3. छात्र/छात्रा के माता–पिता या उनके संरक्षक (माता–पिता जीवित न होने पर) की वार्षिक आय अनुसूचित जाति हेतु 2.50 लाख एवं अनुसूचित जनजाति हेतु 2.50 लाख से अधिक नहीं हो।
4. छात्र/छात्रा जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक, धार्मिक स्त्रोत से अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
5. छात्र/छात्रा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावास में नहीं रह रहा हो।
6. छात्र/छात्रा पिछली कक्षा में अनुत्तीण नही रहा हो, यदि वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसकी छात्रवृति रोक दी जावेगी। किन्तु यदि वह उसी कक्षा को आगामी वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण कर लेता है तो छात्रवृति पुनः चालू कर दी जावेगी। इस हेतु पुनः आवेदन करना होगा।
7. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(29)शिक्षा–6/2014 दिनांक 18.12.2014 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों को राजस्थान के राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के समान यह छात्रवृत्ति देय है।
8. गत सत्र 2019–20 में आवेदन कर चुके विद्यार्थियों को इस सत्र 2020–21 में छात्रवृत्ति नवीनीकरण हेतु , संस्थाप्रधान द्वारा केवल आय घोषणा पत्र विद्यार्थियों से प्राप्त करते हुए, शालादर्पण पोर्टल पर स्वतः प्राप्त सुचना में आधार ऑथेंटिकेशन (Aadhar Authentication), जनआधार से लिंक बैंक खाते से सम्बधित सुचना को अपडेट करना अनिवार्य होगा।
9. शालादर्पण पर आवेदन के समय ही संस्थाप्रधान यह सुनिश्चित करें कि विद्यार्थी का बैक खाता जनआधार से लिंक है अन्यथा जनआधार से लिंक परिवार के मुखिया का बैंक खाता स्वतः ही अपडेट हो जायेगा।
10. नवीन आवेदन में समस्त सूचनाऐं विद्यार्थी से प्राप्त करके संस्था प्रधान द्वारा शाला दर्पण पोर्टल पर सम्पूर्ण ऑनलाईन आवेदन करना होगा। जिसमें जनआधार ऑथेंटिकेशन (Authentication), आधार ऑथेंटिकेशन (Aadhar Authentication) एवं आय सम्बन्धित इत्यादि सूचनाऐं भरी जानी अनिवार्य होगी।

2. छात्रवृति की दरें इस प्रकार है : (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कक्षा 9 एवं 10)

कक्षा	विवरण	दरें	
		डेस्कॉलर	हॉस्टलर
9 व 10	छात्रवृति/माह (अधिकतम 10 माह के लिए)	225 रुपये	525 रुपये
9 व 10	पुस्तकें व एडहॉक ग्राण्ट प्रति वर्ष (एक मुश्त)	750 रुपये	1000 रूपये

3. छात्रवृत्ति हेतु प्रथम बार आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित सत्य प्रतियां ही संलग्न करनी आवश्यक है :–

1. छात्र/छात्रा के माता–पिता (माता–पिता के जीवित न होने पर संरक्षक) का आय स्वघोषणा पत्र
2. छात्र/छात्रा की गत वर्ष की परीक्षा की अंकतालिका/ कक्षा क्रमोन्नत प्रमाण–पत्र (स्वप्रमाणित प्रति)।
3. विद्यार्थी का स्वयं का जाति प्रमाण–पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो (स्वप्रमाणित प्रति)।
4. आधार कार्ड तथा जन–आधार कार्ड की छायाप्रति (स्वप्रमाणित प्रति)

छात्रवृत्ति हेतु आवेदन से सम्बन्धित तिथियां निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	विवरण	**प्रारंभ तिथि**	**अंतिम तिथि**
(अ)	छात्र/छात्रा द्वारा संस्था प्रधान से रिक्त आवेदन पत्र प्राप्त करने एवं पूरित कर मय संलग्नक जमा कराने की कार्यवाही	**27.08.2020**	**30.09.2020**
(ब)	छात्र/छात्रा द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर ऑनलाईन करने की तिथि	**27.08.2020**	**30.09.2020**

विद्यार्थी द्वारा भरे हुए आवेदन पत्र सम्बन्धित विद्यालय में सुरक्षित रखे जावेंगे। केवल निजी विद्यालयों के आवेदन पत्र सम्बन्धित राजकीय नोडल विद्यालय के द्वारा जांच पश्चात् जिला शिक्षा अधिकारी,माध्यमिक मुख्यालय कार्यालय में सुरक्षित रखे जावेंगे।

(सौरभ स्वामी)
IAS
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य/छाप्रोप्र/ए/60171/SC-ST/2020–21 दिनांक : 25.08.2020

विस्तृत दिशानिर्देश वर्ष 2020–21

कक्षा 6 से 10 में अध्ययनरत अन्य पिछड़ा संवर्ग (ओ.बी.सी.) के छात्र/छात्राओं को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (केन्द्र प्रवर्तित)

1.पात्रता/शर्ते :–

1. छात्र/छात्रा अन्य पिछड़ा वर्ग का ही हो, छात्र/छात्रा का जाति प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है (केवल प्रथम बार छात्रवृत्ति आवेदन के समय)
2. छात्र/छात्रा राजकीय/शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत हो।
3. छात्र/छात्रा के माता–पिता या उनके संरक्षक (माता–पिता जीवित न होने पर) की वार्षिक आय 2.50 लाख से अधिक नहीं हो।
4. छात्रवृत्ति प्राप्त करनें के लिए विद्यार्थी को कक्षा 6 से 8 तक क्रमोन्नत प्रमाण पत्र एवं कक्षा 9 में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।
5. छात्र/छात्रा जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक, धार्मिक स्त्रोत से अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
6. छात्र/छात्रा पिछली कक्षा में अनुर्त्तीण नही रहा हो, यदि वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसकी छात्रवृति रोक दी जावेगी। किन्तु यदि वह उसी कक्षा को आगामी वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण कर लेता है तो छात्रवृति पुनः चालू कर दी जावेगी। इस हेतु पुनः आवेदन करना होगा।
7. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(29)शिक्षा–6/2014 दिनांक 18.12.2014 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों को राजस्थान के राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के समान यह छात्रवृत्ति देय है।
8. गत सत्र 2019–20 में आवेदन कर चुके विद्यार्थियों को सत्र 2020–21 में छात्रवृत्ति नवीनीकरण हेतु , संस्थाप्रधान द्वारा केवल आय घोषणा पत्र विद्यार्थियों से प्राप्त करते हुए, शालादर्पण पोर्टल पर स्वतः प्राप्त सुचना में आधार ऑथेंटिकेशन (Aadhar Authentication) जनआधार से लिंक बैंक खाते से सम्बधित सूचना को अपडेट करना अनिवार्य होगा।
9. शालादर्पण पर आवेदन के समय ही संस्थाप्रधान यह सुनिश्चित करें कि विद्यार्थी का बैक खाता जनआधार से लिंक है अन्यथा जनआधार से लिंक परिवार के मुखिया का बैंक खाता स्वतः ही अपडेट हो जायेगा।
10. नवीन आवेदन में समस्त सूचनाऐं विद्यार्थी से प्राप्त करके संस्था प्रधान द्वारा शाला दर्पण पोर्टल पर सम्पूर्ण ऑनलाईन आवेदन करना होगा। जिसमें जनआधार ऑथेंटिकेशन (Authentication), आधार ऑथेंटिकेशन (Aadhar Authentication) एवं आय सम्बन्धित इत्यादि सूचनाऐं भरी जानी अनिवार्य होगी।

2. छात्रवृति की दरें इस प्रकार है :

विवरण	दरें (अधिकतम 10 माह के लिए)	
	डेस्कॉलर	हॉस्टलर
छात्रवृति/माह	100रुपये	500 रुपये

3. छात्रवृत्ति हेतु प्रथम बार आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित सत्य प्रतियां ही संलग्न करनी आवश्यक है:–

1. छात्र/छात्रा के माता–पिता (माता–पिता के जीवित न होने पर संरक्षक) का आय स्वघोषणा पत्र
2. छात्र/छात्रा की गत वर्ष की परीक्षा की अंकतालिका/ कक्षा क्रमोन्नत प्रमाण–पत्र (स्वप्रमाणित प्रति)।
3. विद्यार्थी का स्वयं का जाति प्रमाण–पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो (स्वप्रमाणित प्रति)।
4. आधार कार्ड तथा जन–आधार कार्ड की छायाप्रति (स्वप्रमाणित प्रति)

छात्रवृत्ति हेतु आवेदन से सम्बन्धित तिथियां निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	विवरण	प्रारंभ तिथि	अंतिम तिथि
(अ)	छात्र/छात्रा द्वारा संस्था प्रधान से रिक्त आवेदन पत्र प्राप्त करने एवं पूरित कर मय संलग्नक जमा कराने की कार्यवाही	27.08.2020	30.09.2020
(ब)	छात्र/छात्रा द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर ऑनलाईन करने की तिथि	27.08.2020	30.09.2020

विद्यार्थी द्वारा भरे हुए आवेदन पत्र सम्बन्धित विद्यालय में सुरक्षित रखे जावेंगे। केवल निजी विद्यालयों के आवेदन पत्र सम्बन्धित राजकीय नोडल विद्यालय के द्वारा जांच पश्चात् जिला शिक्षा अधिकारी,माध्यमिक मुख्यालय कार्यालय में सुरक्षित रखे जावेंगे।

(सौरभ स्वामी)
IAS
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य / छाप्रोप्र / ए / 60171 / SC-ST / 2020–21 दिनांक : 25.08.2020

विस्तृत दिशानिर्देश वर्ष 2020–21

सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों को देय पूर्व मैट्रिक (UNCLEAN) छात्रवृत्ति

1.पात्रता / शर्ते :–

1. छात्र / छात्रा सफाई से जुडे और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के परिवार का ही हो। (छात्र / छात्रा के परिवार का उक्त व्यवसाय में लिप्त होने का प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)
2. छात्र / छात्रा राजकीय / शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में कक्षा 1 से 10 में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत हो।
3. छात्र / छात्रा जिसे केन्द्रीय, राजकीय / सार्वजनिक, धार्मिक स्त्रोत से अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
4. छात्र / छात्रा पिछली कक्षा में अनुत्तीण नही रहा हो, यदि वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसकी छात्रवृति रोक दी जावेगी। किन्तु यदि वह उसी कक्षा को आगामी वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण कर लेता है तो छात्रवृति पुनः चालू कर दी जावेगी। इस हेतु पुनः आवेदन करना होगा।
5. राज्य सरकार के आदेश कमांक प.3(29)शिक्षा–6 / 2014 दिनांक 18.12.2014 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों को राजस्थान के राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के समान यह छात्रवृत्ति देय है।
6. गत सत्र 2019–20 में आवेदन कर चुके विद्यार्थियों को सत्र 2020–21 में छात्रवृत्ति नवीनीकरण हेतु , संस्थाप्रधान द्वारा केवल आय घोषणा पत्र विद्यार्थियों से प्राप्त करते हुए शालादर्पण पोर्टल पर स्वतः प्राप्त सूचनां में आधार ऑथेंटिकेशन (Aadhar Authentication) जनआधार से लिंक बैंक खाते से सम्बधित सुचना को अपडेट करना अनिवार्य होगा।
7. शालादर्पण पर आवेदन के समय ही संस्थाप्रधान यह सुनिश्चित करें कि विद्यार्थी का बैक खाता जनआधार से लिंक है अन्यथा जनआधार से लिंक परिवार के मुखिया का बैंक खाता स्वतः ही अपडेट हो जायेगा।
8. नवीन आवेदन में समस्त सूचनाऐं विद्यार्थी से प्राप्त करके संस्था प्रधान द्वारा शाला दर्पण पोर्टल पर सम्पूर्ण ऑनलाईन आवेदन करना होगा। जिसमें जनआधार ऑथेंटिकेशन (Authentication), आधार ऑथेंटिकेशन (Aadhar Authentication) एवं आय सम्बन्धित इत्यादि सूचनाऐं भरी जानी अनिवार्य होगी।

2. छात्रवृति की दरें इस प्रकार हैं :–

DAYSCHOLARS

कक्षा छात्र / छात्रा	छात्रवृति दरें (10माह हेतु)	वार्षिक अनुदान
1 से 10	225	750

HOSTELLERS (छात्रावासी)

कक्षा छात्र / छात्रा	छात्रवृति दरें (10माह हेतु)	वार्षिक अनुदान
3 से 10	700	1000

3. छात्रवृत्ति हेतु प्रथम बार आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित सत्य प्रतियां ही संलग्न करनी आवश्यक है:–

1. छात्र / छात्रा के माता–पिता (माता–पिता के जीवित न होने पर संरक्षक) के सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लिप्त होने का प्रमाण–पत्र
2. छात्र / छात्रा की गत वर्ष की परीक्षा की अंकतालिका / कक्षा क्रमोन्नत प्रमाण–पत्र (स्वप्रमाणित प्रति)।
3. आधार कार्ड तथा जन–आधार कार्ड की छायाप्रति (स्वप्रमाणित प्रति)

छात्रवृत्ति हेतु आवेदन से सम्बन्धित तिथियां निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	विवरण	प्रारंभ तिथि	अंतिम तिथि
(अ)	छात्र / छात्रा द्वारा संस्था प्रधान से रिक्त आवेदन पत्र प्राप्त करने एवं पूरित कर मय संलग्नक जमा कराने की कार्यवाही	27.08.2020	30.09.2020
(ब)	छात्र / छात्रा द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर ऑनलाईन करने की तिथि	27.08.2020	30.09.2020

विद्यार्थी द्वारा भरे हुए आवेदन पत्र सम्बन्धित विद्यालय में सुरक्षित रखे जावेंगे। केवल निजी विद्यालयों के आवेदन पत्र सम्बन्धित राजकीय नोडल विद्यालय के द्वारा जांच पश्चात् जिला शिक्षा अधिकारी,माध्यमिक मुख्यालय कार्यालय में सुरक्षित रखे जावेंगे।

(सौरभ स्वामी)
IAS
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य / छाप्रोप्र / ए / 60171 / SC-ST / 2020–21 दिनांक : 25.08.2020

विस्तृत दिशानिर्देश वर्ष 2020–21

कक्षा 6 से 10 में अध्ययनरत अति पिछड़ा संवर्ग (एम.बी.सी.) के छात्र / छात्राओं को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति

1.पात्रता / शर्तें :–

1. छात्र / छात्रा अति पिछड़ा वर्ग का ही हो, छात्र / छात्रा का जाति प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है (केवल प्रथम बार छात्रवृत्ति आवेदन के समय) (एम.बी.सी में 1.बंजारा,बालदिया,लबाना 2.गाडिया–लोहार,गाडोलिया 3.गूजर,गुर्जर 4राईका,रैबारी(देबासी) तथा 5.गडरिया (गाडरी),गायरी जातियां शामिल है)
2. छात्र / छात्रा राजकीय / शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में कक्षा 6 से 10 में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत हो।
3. छात्र / छात्रा के माता–पिता या उनके संरक्षक (माता–पिता जीवित न होने पर) की वार्षिक आय 2.00 लाख से अधिक नहीं हो।
4. छात्र / छात्रा जिसे केन्द्रीय, राजकीय / सार्वजनिक, धार्मिक स्त्रोत से अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
5. छात्र / छात्रा पिछली कक्षा में अनुत्तीण नही रहा हो, यदि वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसकी छात्रवृति रोक दी जावेगी। किन्तु यदि वह उसी कक्षा को आगामी वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण कर लेता है तो छात्रवृति पुनः चालू कर दी जावेगी। इस हेतु पुनः आवेदन करना होगा।
6. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(29)शिक्षा–6 / 2014 दिनांक 18.12.2014 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों को राजस्थान के राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के समान यह छात्रवृत्ति देय है।
7. गत सत्र 2019–20 में आवेदन कर चुके विद्यार्थियों को इस सत्र 2020–21 में छात्रवृत्ति नवीनीकरण हेतु , संस्थाप्रधान द्वारा केवल आय घोषणा पत्र विद्यार्थियों से प्राप्त करते हुए, शालादर्पण पोर्टल पर स्वतः प्राप्त सुचना में आधार ऑथेंटिकेशन (Aadhar Authentication), जनआधार से लिंक बैंक खाते से सम्बधित सुचना को अपडेट करना अनिवार्य होगा।
8. शालादर्पण पर आवेदन के समय ही संस्थाप्रधान यह सुनिश्चित करें कि विद्यार्थी का बैक खाता जनआधार से लिंक है अन्यथा जनआधार से लिंक परिवार के मुखिया का बैंक खाता स्वतः ही अपडेट हो जायेगा।
9. नवीन आवेदन में समस्त सूचनाऐं विद्यार्थी से प्राप्त करके संस्था प्रधान द्वारा शाला दर्पण पोर्टल पर सम्पूर्ण ऑनलाईन आवेदन करना होगा। जिसमें जनआधार ऑथेंटिकेशन (Authentication), आधार ऑथेंटिकेशन (Aadhar Authentication) एवं आय सम्बन्धित इत्यादि सूचनाऐं भरी जानी अनिवार्य होगी।

2. छात्रवृति की दरें इस प्रकार हैं :–

क.सं.	वर्ग	कक्षा	दरें (10माह हेतु)
1	छात्र	6 से 8	50 / – प्र.माह
2	छात्रा	6 से 8	100 / – प्र.माह
3	छात्र	9 से 10	60 / – प्र.माह
4	छात्रा	9 से 10	120 / – प्र.माह

3. छात्रवृति हेतु प्रथम बार आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित सत्य प्रतियां ही संलग्न करनी आवश्यक है:–

1. छात्र / छात्रा के माता–पिता (माता–पिता के जीवित न होने पर संरक्षक) का आय स्वघोषणा पत्र
2. छात्र / छात्रा की गत वर्ष की परीक्षा की अंकतालिका / कक्षा क्रमोन्नत प्रमाण–पत्र (स्वप्रमाणित प्रति)।
3. विद्यार्थी का स्वयं का जाति प्रमाण–पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो (स्वप्रमाणित प्रति)।
4. आधार कार्ड तथा जन–आधार कार्ड की छायाप्रति (स्वप्रमाणित प्रति)

छात्रवृत्ति हेतु आवेदन से सम्बन्धित तिथियां निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	विवरण	प्रारंभ तिथि	अंतिम तिथि
(अ)	छात्र / छात्रा द्वारा संस्था प्रधान से रिक्त आवेदन पत्र प्राप्त करने एवं पूरित कर मय संलग्नक जमा कराने की कार्यवाही	27.08.2020	30.09.2020
(ब)	छात्र / छात्रा द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर ऑनलाईन करने की तिथि	27.08.2020	30.09.2020

विद्यार्थी द्वारा भरे हुए आवेदन पत्र सम्बन्धित विद्यालय में सुरक्षित रखे जावेंगे। केवल निजी विद्यालयों के आवेदन पत्र सम्बन्धित राजकीय नोडल विद्यालय के द्वारा जांच पश्चात् जिला शिक्षा अधिकारी,माध्यमिक मुख्यालय कार्यालय में सुरक्षित रखे जावेंगे।

(सौरभ स्वामी)
IAS
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य / छाप्रोप्र / ए / 60171 / SC-ST / 2020–21 दिनांक : 25.08.2020

विस्तृत दिशानिर्देश वर्ष 2020–21

प्री–करगिल एवं पोस्ट–करगिल युद्धों तथा विभिन्न इन्सरजेन्सी काउन्टरों में शहीद / स्थायी रूप से विकलांग सैनिकों के आश्रितों को देय छात्रवृति

1.पात्रता / शर्तें :–

1. छात्र / छात्रा प्री–करगिल एवं पोस्ट–करगिल युद्धों तथा विभिन्न इन्सरजेन्सी काउन्टरों में शहीद / स्थायी रूप से विकलांग सैनिकों का आश्रित हो।
2. छात्र / छात्रा राजकीय / शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में कक्षा 1 से 10 में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत हो।
3. छात्र / छात्रा जिसे केन्द्रीय, राजकीय / सार्वजनिक, धार्मिक स्त्रोत से अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
4. छात्र / छात्रा पिछली कक्षा में अनुत्तीण नही रहा हो, यदि वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसकी छात्रवृति रोक दी जावेगी। किन्तु यदि वह उसी कक्षा को आगामी वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण कर लेता है तो छात्रवृति पुनः चालू कर दी जावेगी। इस हेतु पुनः आवेदन करना होगा।
5. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(29)शिक्षा–6 / 2014 दिनांक 18.12.2014 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों को राजस्थान के राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के समान यह छात्रवृत्ति देय है।
6. गत सत्र 2019–20 में आवेदन कर चुके विद्यार्थियों को इस सत्र 2020–21में छात्रवृत्ति नवीनीकरण हेतु , संस्थाप्रधान द्वारा केवल आय घोषणा पत्र विद्यार्थियों से प्राप्त करते हुए, शालादर्पण पोर्टल पर स्वतः प्राप्त सुचना में आधार ऑथेंटिकेशन (Aadhar Authentication), जनआधार से लिंक बैंक खाते से सम्बधित सुचना को अपडेट करना अनिवार्य होगा।
7. शालादर्पण पर आवेदन के समय ही संस्थाप्रधान यह सुनिश्चित करें कि विद्यार्थी का बैक खाता जनआधार से लिंक है अन्यथा जनआधार से लिंक परिवार के मुखिया का बैंक खाता स्वतः ही अपडेट हो जायेगा।
8. नवीन आवेदन में समस्त सूचनाऐं विद्यार्थी से प्राप्त करके संस्था प्रधान द्वारा शाला दर्पण पोर्टल पर सम्पूर्ण ऑनलाईन आवेदन करना होगा। जिसमें जनआधार ऑथेंटिकेशन (Authentication), आधार ऑथेंटिकेशन (Aadhar Authentication) एवं आय सम्बन्धित इत्यादि सूचनाऐं भरी जानी अनिवार्य होगी।

2. छात्रवृति की दरें इस प्रकार हैं :–

क.सं.	कक्षा	दरें (अधिकतम 10माह हेतु)
1	1 से 10	180 / – प्र.माह

3. छात्रवृत्ति हेतु प्रथम बार आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित सत्य प्रतियां ही संलग्न करनी आवश्यक है:–

1. छात्र / छात्रा के माता–पिता (माता–पिता के जीवित न होने पर संरक्षक) के प्री–करगिल एवं पोस्ट–करगिल युद्धों तथा विभिन्न इन्सरजेन्सी काउन्टरों में शहीद / स्थायी रूप से विकलांग सैनिक होने का प्रमाणपत्र
2. छात्र / छात्रा की गत वर्ष की परीक्षा की अंकतालिका–प्रमाणपत्र / कक्षा क्रमोन्नत प्रमाण–पत्र (स्वप्रमाणित प्रति)।
3. आधार कार्ड तथा जन–आधार कार्ड की छायाप्रति (स्वप्रमाणितप्रति)।

छात्रवृत्ति हेतु आवेदन से सम्बन्धित तिथियां निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	विवरण	प्रारंभ तिथि	अंतिम तिथि
(अ)	छात्र / छात्रा द्वारा संस्था प्रधान से रिक्त आवेदन पत्र प्राप्त करने एवं पूरित कर मय संलग्नक जमा कराने की कार्यवाही	27.08.2020	30.09.2020
(ब)	छात्र / छात्रा द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर ऑनलाईन करने की तिथि	27.08.2020	30.09.2020

विद्यार्थी द्वारा भरे हुए आवेदन पत्र सम्बन्धित विद्यालय में सुरक्षित रखे जावेंगे। केवल निजी विद्यालयों के आवेदन पत्र सम्बन्धित राजकीय नोडल विद्यालय के द्वारा जांच पश्चात् जिला शिक्षा अधिकारी,माध्यमिक मुख्यालय कार्यालय में सुरक्षित रखे जावेंगे।

(सौरभ स्वामी)
IAS
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

(प्री–करगिल (1.4.99 से पूर्व) एवं पोस्ट–करगिल (1.4.99 के पश्चात्) युद्धों तथा अन्य विभिन्न इन्सरेन्सीज काउंटरों में शहीद/स्थायी रूप से विकलांग सैनिकों के आश्रितों हेतु छात्रवृति आवेदन पत्र)

1. शहीद /स्थायी विकलांग सैनिक का नाम	....
2. शहीद /स्थायी विकलांग होने की तारीख	....
3. रैंक/यूनिट नम्बर	....
4. शहीद / स्थायी विकलांग होने का प्रमाण पत्र संलग्न करे।	....
5. उत्तराधिकारी (फौज के अभिलेख अनुसार) प्रतिलिपि संलग्न करें । उत्तराधिकारी के निवास स्थान का पूर्ण पता भी लिखा जावें।	....
6. शिक्षार्थी का नाम व शहीद के साथ संबंध (आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न किया जावें)	....
7. कक्षा जिसमें अध्ययनरत है	....
8. विद्यालय का नाम व पूर्ण पता	....

प्रति हस्ताक्षर
(जिला सैनिक कल्याण अधिकारी)

हस्ताक्षर विद्यार्थी

हस्ताक्षर अभिभावक

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य / छाप्रोप्र / ए / 60171 / SC-ST / 2020–21 दिनांक : 25.08.2020

विस्तृत दिशानिर्देश वर्ष 2020–21

भूतपूर्व सैनिकों की कक्षा 11 व 12 में नियमित अध्ययनरत प्रतिभावान पुत्रियों को देय छात्रवृति

1.पात्रता / शर्तें :–

1. छात्रा भूतपूर्व सैनिकों की प्रतिभावान पुत्री हो।
2. छात्रा राजकीय / मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में कक्षा 11 अथवा 12 में नियमित अध्ययनरत हो।
3. छात्र / छात्रा जिसे केन्द्रीय, राजकीय / सार्वजनिक, धार्मिक स्त्रोत से अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
4. छात्र / छात्रा पिछली कक्षा में अनुत्तीण नही रहा हो, यदि वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसकी छात्रवृति रोक दी जावेगी। किन्तु यदि वह उसी कक्षा को आगामी वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण कर लेता है तो छात्रवृति पुनः चालू कर दी जावेगी। इस हेतु पुनः आवेदन करना होगा।
5. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(29)शिक्षा–6 / 2014 दिनांक 18.12.2014 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों को राजस्थान के राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के समान यह छात्रवृत्ति देय है।
6. गत सत्र 2019–20 में आवेदन कर चुके विद्यार्थियों के इस सत्र 2020–21 में छात्रवृत्ति नवीनीकरण हेतु , संस्थाप्रधान द्वारा केवल आय घोषणा पत्र विद्यार्थियों से प्राप्त करते हुए, शालादर्पण पोर्टल पर स्वतः प्राप्त सुचना में आधार ऑथेंटिकेशन (Aadhar Authentication), जनआधार से लिंक बैंक खाते से सम्बधित सुचना को अपडेट करना अनिवार्य होगा।
7. शालादर्पण पर आवेदन के समय ही संस्थाप्रधान यह सुनिश्चित करें कि विद्यार्थी का बैक खाता जनआधार से लिंक है अन्यथा जनआधार से लिंक परिवार के मुखिया का बैंक खाता स्वतः ही अपडेट हो जायेगा।
8. नवीन आवेदन में समस्त सूचनाऐं विद्यार्थी से प्राप्त करके संस्था प्रधान द्वारा शाला दर्पण पोर्टल पर सम्पूर्ण ऑनलाईन आवेदन करना होगा। जिसमें जनआधार ऑथेंटिकेशन (Authentication), आधार ऑथेंटिकेशन (Aadhar Authentication) एवं आय सम्बन्धित इत्यादि सूचनाऐं भरी जानी अनिवार्य होगी।

2. छात्रवृति की दरें इस प्रकार हैं :–

क.सं.	कक्षा	दरें (अधिकतम 10माह हेतु)
1	11 से 12	100 / – प्र.माह

3. आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित सत्य प्रतियां ही संलग्न करनी आवश्यक है :–

1. छात्र / छात्रा के माता–पिता (माता–पिता के जीवित न होने पर संरक्षक) के भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाणपत्र (डिस्चार्ज प्रमाण–पत्र एवं परिचय पत्र अथवा जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र)।
2. छात्र / छात्रा की गत वर्ष की परीक्षा की अंकतालिका / कक्षा क्रमोन्नत प्रमाण–पत्र (स्वप्रमाणित प्रति)।
3. आधार कार्ड तथा जन–आधार कार्ड की छायाप्रति(स्वप्रमाणितप्रति)।

छात्रवृत्ति हेतु आवेदन से सम्बन्धित तिथियां निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	विवरण	प्रारंभ तिथि	अंतिम तिथि
(अ)	छात्र / छात्रा द्वारा संस्था प्रधान से रिक्त आवेदन पत्र प्राप्त करने एवं पूरित कर मय संलग्नक जमा कराने की कार्यवाही	27.08.2020	30.09.2020
(ब)	छात्र / छात्रा द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर ऑनलाईन करने की तिथि	27.08.2020	30.09.2020

विद्यार्थी द्वारा भरे हुए आवेदन पत्र सम्बन्धित विद्यालय में सुरक्षित रखे जावेंगे। केवल निजी विद्यालयों के आवेदन पत्र सम्बन्धित राजकीय नोडल विद्यालय के द्वारा जांच पश्चात् जिला शिक्षा अधिकारी,माध्यमिक मुख्यालय कार्यालय में सुरक्षित रखे जावेंगे।

(सौरभ स्वामी)
IAS
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

भूतपूर्व सैनिकों की कक्षा 11 व 12 में नियमित अध्ययनरत छात्रा के रूप में प्रतिभावान पुत्रियों को देय छात्रवृति योजना
(सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र – ख)

क्रमांक : दिनांक : ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री..पद.. संख्या............................भूतपूर्व सैनिक तथा इनकी पुत्री नाम.. कक्षा.......................... में अध्ययनरत है राजस्थान स्थित ग्राम..तहसील.. जिला.. के मूल निवासी है।

दिनांक :

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी
हस्ताक्षर मय मोहर

राजस्थान सरकार

पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आवेदन पत्र प्रारूप

वर्ष 2020–21

विद्यार्थी का स्वप्रमाणित फोटो

विद्यार्थी की छात्रवृत्ति यूनीक आई.डी...............................
(पूर्ति संस्थाप्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल से की जावेगी

विद्यालय का नाम		:	....
छात्रवृत्ति योजना का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है		:	....
विद्यार्थी का विवरण			
1	विद्यार्थी का नाम	:	....
2	जन्म तिथि	:	DD / MM / YYYY
3	धर्म (हिन्दु / मुस्लिम / सिख / ईसाई / पारसी / बौद्ध / जैन / अन्य)	:	....
4	लिंग(पुरूष / महिला / ट्रांसजेण्डर)	:	....
5	कक्षा जिसमें अध्ययनरत है	:	....
6	विद्यार्थी का S.R.नम्बर (विद्यालय द्वारा भरा जावे)	:	....
6	गत कक्षा के विद्यालय का नाम व पता	:	....
7	गत वर्ष की कक्षा एवं प्राप्तांक का विवरण (कक्षा 1–8 में ग्रेड–ए / बी / सी / डी / ई / कमोन्नत प्रमाण पत्र एवं कक्षा 9–12 में प्रतिशत)	:	कक्षा | पूर्णाक | प्राप्तांक | ग्रेड / प्रतिशत | कक्षा कमोन्नत
8	जाति वर्ग (अजा / अजजा / अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग / सामान्य / अल्पसंख्यक)	:	....
9	डे–स्कॉलर / हॉस्टलर	:	....
10	विद्यार्थी का आधार नम्बर	:	....
11	आधार का एनरोलमेन्ट नम्बर (यदि विद्यार्थी ने आधार के लिए आवेदन किया हो परन्तु उसे आधार नम्बर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ हो)	:	....
12	जन–आधार / भामाशाह नम्बर	:	....
13	जन–आधार का एक्नोलेजमेन्ट नम्बर (यदि विद्यार्थी के परिवार ने जन–आधार कार्ड के लिए आवेदन किया हो परन्तु उन्हें जन–आधार कार्ड अभी तक प्राप्त नहीं हुआ हो)	:	
14	छात्र का बैक खाता जन–आधार कार्ड से लिंक है (हां / नहीं)	:	....
15	विद्यार्थी का मोबाईल नम्बर	:	....
16	विद्यार्थी का ई–मेल आई.डी.	:	....
विद्यार्थी के परिवार का विवरण			
17	पिता का नाम	:	....
18	माता का नाम	:	....
19	संरक्षक का नाम (माता–पिता के जीवित ना होने पर)	:	....
20	परिवार की वार्षिक आय	:	....
21	स्थाई पता / जिले का नाम / राज्य का नाम	:	....
22	राशन कार्ड नम्बर	:	....
23	क्या विद्यार्थी इस छात्रवृति के अतिरिक्त अन्य किसी संस्था या सरकारी विभाग से कोई सहायता प्राप्त कर रहा है (हां / नहीं) यदि हां तो विवरण दें	:	....

क्र.सं.	योजना के विस्तृत दिशानिर्देशों के अनुसार संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज	संलग्न कर ☑करें
1	माता–पिता (माता–पिता के जीवित न होने पर संरक्षक) का **आय स्वघोषणा–पत्र**	
2	छात्र/छात्रा की गत वर्ष की परीक्षा की **अंकतालिका** (स्वप्रमाणित प्रति)।	
3	विद्यार्थी का स्वयं का **जाति प्रमाण–पत्र** (स्वप्रमाणित प्रति)।	
4	विद्यार्थी की **आधार कार्ड** तथा **जन–आधार/भामाशाह कार्ड** (स्वप्रमाणित प्रति)।	
5	माता–पिता (माता–पिता के जीवित न होने पर संरक्षक) के सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए **जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लिप्त होने का प्रमाण–पत्र**	
6	माता–पिता के प्री–करगिल एवं पोस्ट–करगिल युद्धों तथा विभिन्न इन्सरजेन्सी काउन्टरों में **शहीद/स्थायी रूप से विकलांग सैनिक होने का प्रमाणपत्र**	
7	**भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाणपत्र** (डिस्चार्ज प्रमाण–पत्र एवं परिचय पत्र अथवा जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र)।	

नोट :– वांछित दस्तावेज संलग्न करते हुए सामने के कॉलम में ☑ का निशान अंकित करें।

हस्ताक्षर विद्यार्थी

माता-पिता/सरंक्षक द्वारा घोषणा

मैं .... (माता–पिता/संरक्षक) घोषणा करता हूँ/करती हूँ की मैने योजना संबंधी सभी नियमों/निर्देशों की भली भांति अध्ययन कर लिया है। छात्र/छात्रा के मूल दस्तावेज में अंकित आधार नम्बर, जन–आधार कार्ड, सही है एवं छात्र/छात्रा किसी अन्य प्रकार की छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रहा है। विद्यार्थी का बैंक खाता उसके आधार से सीडेड तथा जन–आधार कार्ड से लिंक है। मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त विवरण, संलग्न दस्तावेज, इस घोषणा में अंकित सूचनाएं गलत पाये जानें की स्थिति में यदि छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है तो इसका समस्त दायित्व मेरा स्वयं का होगा। भविष्य में किसी भी प्रकार की जांच प्रक्रिया में मेरे द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं अथवा दस्तावेज गलत पाए जाने की स्थिति में मेरे विरूद्ध पुलिस/वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी तथा मैं प्राप्त छात्रवृत्ति वापिस जमा करवाने का वचन देता हूँ/देती हूँ।

दिनांक :   हस्ताक्षर जांचकर्ता/कक्षाध्यापक   माता–पिता/संरक्षक के हस्ताक्षर

संस्थाप्रधान द्वारा प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि छात्र/छात्रा...पुत्र/पुत्री.. के छात्रवृत्ति आवेदन की जांच कर ली गई है आवेदन पत्र के साथ समस्त वांछित संलग्नक लगे हुए हैं। छात्र/छात्रा द्वारा प्रस्तुत आधार नम्बर, जन–आधार कार्ड एवं आय घोषणा पत्र आदि को शालादर्पण पोर्टल पर अपडेट कर लिया गया है। अतः छात्र/छात्रा को सत्र 2020–21 की छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है।

संस्था प्रधान के हस्ताक्षर
मय मोहर

आय का घोषणा पत्र

(विद्यार्थी के पिता/माता/संरक्षक द्वारा भरा जावेगा)

पूर्व मैट्रिक छात्रवृति योजना में वर्ष 2020–21 के लिए

मैं ....पुत्र/पुत्री/पत्नी ....

उम्र..................वर्ग(केटेगरी)..निवासी ....

....

घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी समस्त स्त्रोतो से कुल वार्षिक आय................................

रूपये है।

आय संबंधी उक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है। मुझे इस तथ्य की जानकारी है कि मेरे द्वारा उद्घोषित आय गलत अथवा मिथ्या होना भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

विद्यार्थी का नाम ....

विद्यार्थी की कक्षा ....

विद्यार्थी से घोषणाकर्ता का संबंध ....

हस्ताक्षर घोषणाकर्ता